



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1945 (श०)

(सं० पटना 639) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई 2023

सं० 06 / मंतव्य—9—07 / 2021—6061—बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा—15 की उपधारा—1 एवं धारा—23 के परंतुक तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—211 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम—81 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पुराने वाहनों की रक्कैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के रक्कैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों में निम्नरूप से एकमुश्त छूट प्रदान किया जाता है :—

क्र० सं०	मोटरवाहन कर / शुल्क	मोटरवाहन कर में छूट		
		सरकारी वाहन	गैर परिवहन वाहन	परिवहन वाहन
1	मोटरवाहन कर / हरित कर / सड़क सुरक्षा उपकर एवं अर्थदण्ड	पूर्णतः	कर में 90% एवं अर्थदण्ड में 100% छूट।	कर में 90% एवं अर्थदण्ड में 100% छूट।
2	केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत उदग्रहित होने वाले फीस एवं अतिरिक्त फीस (यथा— निबंधन, फिटनेस फीस एवं अतिरिक्त फीस इत्यादि)	पूर्णतः	फीस में 90% एवं अतिरिक्त फीस में 100% छूट।	फीस में 90% एवं अतिरिक्त फीस में 100% छूट।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात् प्रभावी होगा एवं इसके प्रभावी होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 639-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>